संख्या- 556/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 09-06-2026

विषयः- जनपद चंदौली में परियोजना "Strengthening of District Disaster Management Authorities (DDMAs) of Hazard Prone Districts out of the 115 identified backward districts" के अन्तर्गत तैनात सलाहकार (आपदा प्रबन्धन) के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या-239/20-आपदा सला0/सला0/का0अनु0/2026-27 दिनांक 14.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद चंदौली में परियोजना "Strengthening of District Disaster Management Authorities (DDMAs) of Hazard Prone Districts out of the 115 identified backward districts" के अन्तर्गत तैनात सलाहकार (आपदा प्रबन्धन) के दिनांक 25 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025 (07 कार्यदिवस) एवं माह सितम्बर, 2025 से माह फरवरी, 2026 (छः माह) के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 4,35,806/- (रू0 चार लाख पैतीस हजार आठ सौ छः मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह मार्च, 2026 हेतु रू0 70,000/- व आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के 11 माह (माह अप्रैल 2026 से फरवरी, 2027 तक) के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 7,70,000/- अर्थात कुल रू0 12,75,806/- की धनराशि के भुगतान हेतु बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चंदौली में परियोजना "Strengthening of District Disaster Management Authorities (DDMAs) of Hazard Prone Districts out of the 115 identified backward districts" के अन्तर्गत तैनात सलाहकार (आपदा प्रबन्धन) के दिनांक 25 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025 (07 कार्यदिवस) एवं माह सितम्बर, 2025 से माह फरवरी, 2026 (छः माह) के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 4,35,806/- (रू0 चार लाख पैतीस हजार आठ सौ

छः मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह मार्च, 2026 हेतु रू0 70,000/- व आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के 11 माह (माह अप्रैल 2026 से फरवरी, 2027 तक) के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 7,70,000/- अर्थात कुल रू0 12,75,806/- की धनराशि के भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-51 के लेखाशीर्षक 2245808000103 (खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.100.रा.0-के.)) -07 मानदेय मद से धनराशि **रू0 12,75,806/- (रू0 बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छः मात्र)** की वितीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, चन्दौली के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.100.रा.0-के.) मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा उक्त मद से व्यय के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वितीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(5) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(6) खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.100.रा.0-के.) मद के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 12,75,806/- (रू0 बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छः मात्र)** को चालू वितीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-80-800-01-03 (खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.100.रा.0-के.)) -07 -मानदेय के नामे

डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 09-06-2026
14:55:05

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-556(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

3- राहत आयुक्त, उ0प्र0।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 09-06-2026
15:02:07

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-12/06/2026

प्रेषण संख्या:- 556
आवंटन आदेश संख्या:- 001-556
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें
03 - खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुदृढीकरण हेतु (के.100/रा.0-के.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		07-मानदेय	योग
1	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275806 1275806	1275806 1275806
	योग	वर्तमान प्रगामी	1275806 1275806	1275806 1275806

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छः
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ छः

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी